

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मीना देवी पत्नी हरप्रसाद नि० ग्राम पंचपुरवा मौजा पूरे सुकाली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-172/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनीता पत्नी लालता, 02. काली प्रसाद पुत्र भीखू लाल निवासीगण ग्राम गरीबाजोत थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-162/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रेमनाथ पुत्र रामफेर नि० पाण्डेयपुरवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-110/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कन्हैया लाल पुत्र रामचन्द्र नि० पाठकपुरवा मौजा खैरा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-527/21, 02. बनवारी पुत्र परबदीन नि० मन्सापुरी खैरा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-528/21, 03. लल्लू पुत्र मुन्ना नि० मजरेठिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-529/21, 04. जितेन्द्र उर्फ गुल्लू पुत्र अदन उर्फ मदनलाल कोरी नि० शुकुलपुरवा कटहामाफी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-530/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जय बक्श सिंह पुत्र जगदीश सिंह नि० रामपाल पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-157/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. चिन्हे उर्फ छनिरक पुत्र कियालाल नि० ग्राम कटहर बुटहनी थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-197/21, 02. दिलीप कुमार पुत्र रामशब्द नि० ऐलनपुर ग्रन्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-198/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.06.2021

01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगपुर के उ०नि० अनन्त कुमार सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अताउल्ला खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगपुर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अताउल्ला खान पुत्र निजामुद्दीन खान नि० बस स्टैण्ड विशुनापुर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—185/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० अनन्त कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2021

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोप अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने मु0अ0सं0-112/21, धारा-306,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हनुमन्त लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी के लड़के को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हनुमन्त लाल पुत्र गोली नि0 ग्राम सेमरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-112/21, धारा- 306,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

व0उ0नि0 अशोक सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2021

गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मु0अ0सं0-141/21, धारा 147,148,323,504,506,336,304,188 भादवि व 51बी आपदा प्रबन्धन अधि0 से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों— 01. अब्दुल माबूद, 02. मो0 आरिफ उर्फ राजू को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी मो0 चांद पुत्र अब्दुल कलाम नि0 खजुरिहवा कस्बा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के भाई को आपसी विवाद के चलते लाठी-डण्डा ईट पत्थर से मारा-पीटा था। जिससे वादी के भाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अब्दुल माबूद पुत्र रियाज अहमद नि0 जवाहर नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मो0 आरिफ उर्फ राजू पुत्र रियाज अहमद नि0 जवाहर नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-141/21, धारा 147,148,323,504,506,336,304,188 भादवि व 51बी आपदा प्रबन्धन अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

- उ0नि0 विसुन देव पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त राधेश्याम पाण्डेय को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 टेबलेट अल्प्राजोलम की बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राधेश्याम पाण्डेय पुत्र जगदीश प्रसाद पाण्डेय नि0 सोनापार थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-219/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 240 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 शादाब आलम मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2021

02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 मादक तस्कर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे के उ०नि० चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 मादक तस्करों— 01. राजन तिवारी, 02. सुरेश यादव को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त राजन तिवारी के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व अभियुक्त सुरेश यादव के कब्जे से 01 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राजन तिवारी पुत्र मनोज तिवारी नि० ग्राम थानाखास थाना हरैया जनपद बस्ती।
02. सुरेश यादव पुत्र बाबूराम यादव नि० ग्राम थानाखास थाना हरैया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—101/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—102/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।
01. 01 अदद परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2021

चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद अवैध तमंचा भी बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वाहन चोरो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनकम में थाना को० नगर के उ०नि० चन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिसबल के साथ भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल के साथ 02 अभियुक्तों— 01. लवकुश गोस्वामी, 02 रमन सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 01—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हमलोग जनपद गोण्डा व आस—पास के जनपदो से मोटरसाईकिल चुराते है तथा उनका नम्बर प्लेट बदलकर अन्य—अन्य स्थानों पर बिक्री कर देते है। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. लवकुश गोस्वामी पुत्र लल्लू गोस्वामी नि० पचरननाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. रमन गोस्वामी पुत्र रामकुमार सोनी नि० मोहल्ला राजापुर कस्बा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०स०—531/21, धारा 411,419,420,467,468,471 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—532/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०—533/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:—

01. 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम:—

01. उ०नि० चन्द्रप्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2021

छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने मु0अ0सं0-163/21, धारा- 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- जगदम्बा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जगदम्बा पुत्र रामअधार बरवार नि0 पेडारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-163/21, धारा-354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 राकेश पाल मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2021

सार्वजनिक स्थल पर फब्तिया कसने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने महिलाओं/बालिकाओं के साथ अभद्रता/अश्लील हरकत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने सार्वजनिक स्थल रायपुर चौराहे के पास से महिलाओं/बालिकाओं को देखकर फब्तिया कसने के आरोप में अभियुक्त हरिकेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हरिकेश चौहान पुत्र बुधई नि० नयपुर लोनियनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-230/21, धारा-294 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

हेड० का० बलविंदर सिंह मय टीम।

